

16/8/2019 फावली पेश हुई। वकील डा. पी. गिण रेजुपलियत
 मूल वाद अरुण हाजरी व अरुण पटेल के
 खारिज हो चुका है मूल वाद खारिज होने से
 आवेदन में कोई कार्रवारी का कोई वैधानिक
 नहीं रहता। अतः डा. पी. गिण का आवेदन
 अरुण हाजरी व अरुण पटेल के खारिज
 बिना जाकर फावली फिलाल शुभार रोड
 नम्बर से वाद हो।


 सहायक कलेक्टर
 चौहटन